


तारीख हुकम

14/11/24

पत्रावली पेश हुई अभिलिखित अधिकारी (स्वाघ (पुता))  
 मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. वासवाड़ा ने इनके पत्रों  
 292 दिनांक 10/11/24 से अवगत कराया कि पुत्रान  
 में अपार्थी श्री मुरिल्लभार खान की मृत्यु हो चुकी  
 है जिससे पुत्रान पुन्यारित करने निषेध किया।  
 अतः यह प्रार्थना प्रार्थना पत्र अपार्थी श्री मुरिल्लभार  
 खान की मृत्यु हो जाने से इसी स्टेज पर सारीज  
 किया जाता है। पत्रावली के मास शुभार होकर 5/11/24

  
 जयप्रिय निरयन अधिकारी  
 (अतिरिक्त जज)  
 बांसावाड़ा (राज.)

